न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 67 / 2021 (2021 / 292)

1.हेमराज पुत्र श्री जगदीश मीना

2.रामप्रसाद पुत्र श्रवण मीना

निवासीगण बघेरा तहसील केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित :– 1 चेतन धाभाई :– वकील प्रार्थी दिनांक - 13.09.2021

2 तहसीलदार केकडी :– पेरोकार सरकार

प्राथीगण की खातेदारी की आराजीयात ग्राम नायकी तहसील केकड़ी मे स्थित है। आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है:–

खाता नं.	खसरा नं.	रकबा	किस्म
नई – पुरानी			
508 – 441	940	0.06 (हैक्टर)	बारानी 1

उपरोक्त आराजी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 प्रार्थीगण के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चली आ रहीं है। प्रार्थीगण की अराजी के पश्चिम दिशा की तरफ खसरा न. 941 सरकी भूमि व खसरा न. 679 किस्म गै.मु. रास्ता है। प्रार्थीण को उपरोक्त आराजी खसरा न. 940 में आने जाने का रास्ता आराजी खसरा न. 679 किस्म गै.मु.रास्ता से से होकर सरकारी भूमि खसरा न. 941 में से होते हुये प्रार्थीगण की आराजी के पश्चिम दिशा के कोनेमें आता है। इसके अलावा प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसी कदीमी रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण व उसके परिवारजन कदीम

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 17:00:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

कोई रास्ता नहीं है। इसी कदीमी रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण व उसके परिवारजन कदीम से निर्बाधरू. से करते आ रहे है। इस कदीमी रास्ता के अलावा प्रार्थीण को अपनी उक्त आराजी मे आना जाना का अन्य कोई विकल्प नही होनेसे प्रार्थीगण को काफी नुकसान हो रहा है। अतः इस कदीमी रास्ते को खुलासा कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करने की आवश्यकता हुई। प्रार्थीगण को उक्त आराजी को काश्त करने हेतु 30 फीट चौडा रास्ता खसरा न. 679 से होकर खसरा न. 941 में से होकर प्रार्थीगण की आराजी तक तरमीम किया जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है। जिसके लिए प्रार्थीगण उक्त रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर से राजस्व विभाग में राशि जमा करवाने को तत्पर एंव तैयार है। वर्णित अराजी माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकारी में ग्राम नायकी तहसील केकडी में स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त प्रार्थाना पत्र श्रवण करने व निर्णित करने का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार प्राप्त है। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा न. 940 को काश्त करने हेतु आने जाने के लिये 30 फीट चौड़ा रास्ता 679, 941 में से लेकर प्रार्थीगण की आराजी तक तरमीम किये जाने व डी.एल.सी. की दर से राशि जमा किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

तहसीलदार केकडी से रिपोर्ट मंगावाई गई। तहसीलदार केकडी ने अपनी रिपोर्ट मे बताया कि ग्राम नायकी के खसरा नबर 940 प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। प्रार्थीगण वर्तमान मे रेकार्डेड रास्ता खसरा नंबर 679 के पश्चात सिवायचक खसरा नंबर 941 मे से नजरी मानचित्र मे दर्शाये अनुसार आवागमन कर रहे है। जिस भूमि से रास्ता चाहा गया है,सिवायचक भूमि है। प्रार्थी के निकटतम केकड़ी–जयपुर सड़क बनी हुई है। सड़क के पूर्व दिशा मे स्थित खसरा नंबर 941 सरकारीमे से 940 मे आता जाता है। वांछित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है अतः खसरा नंबर 941 मे रास्ते मे पड़ने वाली भूमि की कुल लंबाई 16X9-44= 146.304 वर्गमीटर पर रास्ता दिया जाना है। पक्षकारान रकम जमा करवने मे सहमत है। ग्राम नायकी की डी0एल0सी0 दर 982692रू प्रति है0 है रास्ते मे पड़ने वाली भूमि कीराषि 14377रू बनती है। डबल करने पर 28754रू होती है। लाल स्याही मे दर्शित खसरा नंबर 941 मे प्रस्तावित रास्ता है।

मैने वकील प्रार्थी की बहस पर गौर कियां। पत्रावली मे उपंलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गयां। पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रकरण मे प्राार्थी के निकटतम केकड़ी–जयपुर सड़क बनी हुई है। सड़क के पूर्व दिशा मे स्थित खसरा नंबर 941 सरकारी मे से 940 मे आता जाता है। वांछित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है अतः खसरा नंबर 941 मे रास्ते मे पड़ने वाली भूमि की कुल लंबाई 16X9-44= 146.304 वर्गमीटर पर रास्ता दिया जाना है। पक्षकारान रकम जमा करवने मे सहमत है। ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 17:00:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

नायकी की डी0एल0सी0 दर 982692रू प्रति है0 है रास्ते मे पड़ने वाली भूमि कीराषि 14377रू बनती है। डबल करने पर 28754रू होती है। प्रार्थी उक्तानुसार राशि जमा करवाने पर तहसीलदार केकड़ी उक्त आराजी खसरा नंबर 941 मे से भूमि की कुल लंबाई 16X9-44= 146.304 वर्गमीटर पर रास्ता राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 17:00:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner